

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 15/2024-सीमा शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 12 मार्च, 2024

सा.का.नि.... (अ), - जहां कि केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 90 के तहत आने वाली वस्तुओं पर लगाए जाने वाले आयात शुल्क को बढ़ाया जाना चाहिए और ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जो इसे तत्काल कार्रवाई करने के लिए आवश्यक बनाती हैं।

अतः अब, इसलिए, उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 8क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, एतद्वारा, निर्देश देती है कि उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची में निम्नलिखित तरीके से संशोधन किया जाएगा, अर्थात्: -

"उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची में, अध्याय 90 में, टैरिफ मदों 9022 30 00 और 9022 90 90 के समक्ष, कॉलम (4) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "15%" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।"

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2024 से लागू होगी।

[फाइल संख्या सीबीआईसी-190354/15/2023-टीआरयू अनुभाग-सीबीईसी]

(विक्रम विजय वानेरे)
अवर सचिव, भारत सरकार